

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 62 / प्र०अ०-भवन / जोन-2 / 2011-12 दिनांक 28/07/2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर महाविद्यालय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती शारदा पाण्डेय, प्रबन्धक / मैनेजिंग ट्रस्टी यूनिवर्सल एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा के०पी० उच्च शिक्षा संस्थान, स्थल आराजी संख्या-124 मौजा-शाहा उर्फ पीपलगाँव, तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-


- उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग / अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
- स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
- स्थल पर 70 अद्द वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
- स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण कर उक्त का संयोजन Existing Services से करना होगा।
- स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
- स्थल पर रेनवाटर हार्डिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करा कर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 09.04.2012 जिसका पृष्ठांकन भू-स्वामी को भी है मे अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डो का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ०प्र० ० द्वारा नियमानुसार उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के काश्य ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, मे कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

28/07/2012
(सीमा सिंह)


संयुक्त सचिव / प्र०अ०-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

For-UNIVERSAL EDUCATIONAL TRUST

21221
MANAGING TRUSTY
22-6-2092




TERRACE PLAN




SECOND FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN




GROUNDS FLOOR PLAN



SECTION AT AB



FRONT ELEVATION



SEC. OF STAIR CASE



23 M FOUNDATION DETAIL


PROPOSED BUILDING PLAN OF K.P. HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTE LTD. AT HALAIPUR PEGAL.
S.C. NO. 1-109
OWNER:-
FOR UNIVERSAL EDUCATIONAL MANAGEMENT TRUSTEE LTD.
SHRI SEHARDA PANDAY
RECORDED THIS BUILDING PLAN HAS BEEN PREPARED
BY MR. S. K. DAS
S.D.C. APPROVED BY
SNO. C.R. ENCL.

S. K. DAS


MR. S. K. DAS

MR. S. K. DAS

MR. S. K. DAS



SITE PLAN



NOTE:-

LIMITED CONCRETE FOUNDATION
TOTAL PLOT AREA R.C.C. 33905.37 SQ. YD.
ROAD WIDENING AREA = 4877.80 SQ. YD.
COVERED AREA ON G.F. = 7216.00 SQ. YD.
COVERED AREA ON S.G.F. = 7216.00 SQ. YD.
GROUNDS AREA ON G.F. = 1742.00 SQ. YD.
NO. OF CAR PARKINGS = 42 NO'S.
DOOR & P.A.C.

FOR UNIVERSAL EDUCATIONAL
MANAGEMENT TRUSTEE LTD.
SHRI SEHARDA PANDAY
RECORDED THIS BUILDING PLAN HAS BEEN PREPARED
BY MR. S. K. DAS
S.D.C. APPROVED BY
SNO. C.R. ENCL.